FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बलराज सिंह आदि बनाम अमरजीत सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए नम्बर 121 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/220

मिसल क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
2024	वादी अवजिन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	
२५/७/२४	आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा मिसल पेशी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी मे ली गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार ने वकालतनामा व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। शामिल मिसल रहे। दोनो पक्षो के द्वारा न्यायालय मे उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनो पक्षो को पढ़कर सुनाया गया। दोनो पक्षो के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादीगण का वादपत्र दोनो पक्षो के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	प्रतिवादी